9-A

आयोजनागत

संख्या 97 / XI / 2012–56(1) / 2007

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादूनः दिनांक, 21 फरवरी, 2012

विषयः– दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2772 / 5–लेखा–144 / दीनदयाल आवास / प्रस्ताव / 2011–12 दिनॉक 21.11..2011 के संदर्भ में तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या– 676 / XI / 07 56(1) / 2007 दिनांक 9 अक्टूबर, 2007 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 566 / XI / 08 56(1) / 2007 दिनांक 26–6–2008 व शासनादेश संख्याः 819 / XI / 2010 56(39)2007 दिनॉक 02–6–2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले आवास विहीन / कच्चे आवास वाले परिवारों को योजना की गाइड लाइन में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवास निर्मित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 495.00 (रू0 चार करोड़ पचानवे लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैंः–

1. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि की जनपदवार फॉट एवं लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रश्नगत धनराशि नियमानुसार व्यय हेतु सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की कार्यवाही आयुक्त, ग्राम विकास, पौड़ी द्वारा की जायेगी। अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक ही धनराशि व्यय की जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
2. इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि योजना के संचालन हेतु निर्गत मार्ग निर्देशों तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार ही नियमानुसार व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन नहीं किया जायेगा।

क्रमशः....2.....

3. योजना की धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय
4. हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया जाय तथा अनुसूचित जातियों हेतु कम से कम 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों हेतु कम से कम 4 प्रतिशत तथा शेष गैर अनु0जाति/जनजाति के आवास विहीन पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार व्यय की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/गाईडलाइन्स के अनुसार ही किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. किसी ऐसे परिवार को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा, जिसे पूर्व में किसी अन्य आवासीय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया हों।
8. योजनान्तर्गत धनराशि संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तानान्तरित की जायेगी।
9. योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे कार्यों पर ही किया जाय।
10. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2012 तक अवश्य कर लिया जाय।
11. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए स्वीकृतियों की प्रति एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
12. उपरोक्त प्रस्तर 1 से 10 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

2– योजनान्तर्गत पूर्व स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या अगली स्वीकृति के प्रस्ताव के समय प्रस्तुत किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष के अधीन अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक– 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–102–सामुदायिक विकास– 12– दीनदयाल

क्रमशः....3...

उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना– 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से रू0 350.00 लाख, अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–102 सामुदायिक विकास– आयोजनागत–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान– 0210–दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से रू0 125.00 लाख तथा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना–10–दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से रू0 20.00 लाख वहन किया जायेगा तथा सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या **(P)XXVII-4/2012** दिनांक फरवरी 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्याः 97 **(1)/XI/2012/56(01)2007 तददिनॉक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
9– निजीसचिव,मुख्यसचिव,उत्तराखण्डशासन, मुख्य-सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10–नियोजन विभाग, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव ।